फर्जीवाड़ा पकड़ने में लग गए 12 साल

खुलासा

■ दिलीप पाठक

श्रावस्ती। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्तियों की जांच संदेह के घेरे में है। जिस प्रकार से जिले में एक के बाद एक फर्जी शिक्षकों के मामले उजागर हो रहे हैं। इससे विभाग की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। नियुक्ति के समय कई बार जांच के बाद भी जालसाज कैसे नौकरी हथियाने में कामयाब हो जाते हैं बड़ा सवाल है।

एक बार फिर श्रावस्ती में छह फर्जी शिक्षकों का मामला उजागर हुआ है। जिनमें से पांच को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिरसिया के प्राथमिक विद्यालय बल्दीडीह में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात आलोक कुमार गुप्ता उर्फ किशन गुप्ता निवासी ईश्वरचंद नगर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात का डीएड अंकपत्र जांच में फर्जी पाया गया है। इसी तरह प्राथमिक विद्यालय केशवपुर में नियुक्त सहायक शिक्षक प्रदीप कुमार पुत्र लाल जी ग्राम इस्माइलपुर तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर, सिरसिया के प्राथमिक विद्यालय कोयलहवा में तैनात सहायक शिक्षक जितेन्द्र सिंह पुत्र राम औतार निवासी भोगीसागर तहसील भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात, जमुनहा के प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर में तैनात सहायक शिक्षक सुशील कुमार पुत्र राम सजीवन निवासी ग्राम परेहरापुर जनपद कानुपर देहात का भी डीएड का अंकपत्र फर्जी मिला है। इन सभी फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियां वर्ष 2017 में हुई थी। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय असनहरिया में तैनात सहायक शिक्षक उमेश कुमार मिश्र पुत्र प्रेम चंद्र निवासी रामपुर तप्पा कनैला थाना कलवारी जनपद बस्ती की टीईटी अंकपत्र जांच में फर्जी पाई गई है।

मामले का खुलासा करते डीएम व एसपी।

फर्जी शिक्षक को मिली थी एसीआर की जिम्मेदारी

सिरसिया के प्राथमिक विद्यालय बन्दीडीह में फर्जी अभिलेख से नौकरी कर रहे सहायक शिक्षक आलोक कुमार गुप्ता उर्फ किशन गुप्ता को विभाग की ओर से एसीआर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बताया जाता है कि विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं तीन महीने पहले भी फर्जी दस्तावेजों से नौकरी करने वाले पांच शिक्षकों को बर्खास्त किया गया था।